RPI-211-6L-11-94	V-190/CR.J.(e)
SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE COLIN the court of	
Case No Complaint or report made o	n
tooling to report or and	
Name and address of the Complainant	
Name, parentage, caste and address of accused	
विशेशास १३०६ २१० ग्रेड्सिक रिका भारती	
गण की रवेच्या अधिक्वीकृति के आधार पर आरोपी/पण घ	- Profession
	Ada Trans
The offence complaint of its alleged commission.	1010 16085
	131
आपने दिनांक 27.10 र को समय 5 र 0 बजे स्थान की	1165 75
अपने दिना के साथ समय	. 20 90185
को अपने	आधिपत्य मे रखा
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होक	र इस न्यायालय क
संज्ञान में है।	
D ODDY I WO	Q E
TO THE TAIL	िरटेट प्रथम श्रेणी
	नला भिण्ड (म.प्र.)
THE STATE STATE	The Carry
Both 10 to 1	

The plea of the accused and his examination (if any) अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

व्यामिक

चैकज शर्मा स्यायिक मि ेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(नि र्ण य)

(आज दिनांक राष्ट्री को घोषित)

 आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 39 काकियों के 	
अपराध के आरोप हैं।	
2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।	
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति 'के आधार पर आरोपी/गण को	
धारा अप रुवाल की अपराध में सिद्धदोष	
ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण	
को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा	
में प्रकरण में जब्दाशुदा कारावास पृथक से भुगतना होगा। 4. प्रकरण में जब्दाशुदा कि	
4. प्रकरण में जब्तशुदा	
OLES MISSIES	

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता0 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

न्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक गोहद जिला भिण्ड गोहद जिला निण्ड (म.प्र.) न्यायिक मंजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी न्यायिमोहद जिला मिण्ड गोहद, जिला मिण्ड (म.प्र.)